यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास नगर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी**, **विकास नगर**, **देहरादून** के माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.12.2018 से 27.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास नगर, देहरादून के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड विकास नगर आता हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत माध्यमिक विध्यालयों प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(रु0 **लाख में**)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ समर्पण	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	28.02	25.83	00	00	2.19	00
2016-17	51.08	49.45	00	00	1.63	00
2017-18	46.75	43.96	00	00	2.79	00
2018-19 (11/2018)	46.66	37.47	00	00	-	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु0 लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	-----शून्य----	-------शून्य--------			
2016-17					
2017-18					
2018-19 (11/2018)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). महानिदेशक

2). निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

3). अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) पौड़ी

4). मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून

5). खण्ड शिक्षा अधिकारी

6). प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी**, **विकास नगर**, **देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2012, 03/2016, 03/2018, एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो –"ब"</u>

प्रस्तर:01- **ब्याजराशि रु**. 9313/- **को राजकोष मे नहीं जमा कराया जाना।**

शासनादेश संख्या 875(1)/वित्त अनुभाग-3 दिनांक 30 अप्रैल 2003 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि राजकोष मे लेखाशीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" के अंतर्गत जमा कर दी जानी चाहिए।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया मार्च 2016 से मार्च 2018 के बीच खाता संख्या- 0886000100191558 (पंजाब नेशनल बैंक) मे रु. 9313/- ब्याज के रूप में संकलित हुआ था। नियमानुसार इस अर्जित ब्याज को राजकोष मे जमा कराया जाना चाहिए था, परंतु यह इकाई द्वारा उक्त राशि का बिना अनुमति के व्यय किया जा रहा था, जो कि नियम विरुद्ध था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि नियमों से अनभिज्ञता के इससे आकस्मिक प्रकृति के छोटे ब्ययों को वहन किया गया जिसके लिए शासन से अनुमति नहीं ली गई थी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि ब्याजराशि को राजकोष मे जमा कराये जाने विषयक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2003 को ही लागू कर दिया गया था।

अतः ब्याजराशि रु. 9313/- को नियमानुसार राजकोष मे नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग</u><u>-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (**सा**0**क्षे**0)	**भाग**-II **'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग**-II **'ब' प्रस्तर संख्या**	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

<u>भाग</u><u>-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.................................Nil.....................................

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास नगर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

(i) सतत् अनियमितताएः शून्य

2- **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया** -

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	श्री नागेंद्र सिंह वर्तवाल	खण्ड शिक्षा अधिकारी	19.11.2010 से 06.08.2012
02	श्री रणजीत सिंह राणा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	07.08.2012 से 19.12.2013
03	श्रीमति उमा पँवार	खण्ड शिक्षा अधिकारी	20.12.2013 से 30.09.2016
04	श्री विजयपाल सिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी	01.10.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास नगर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.